

मध्य प्रदेश शासन  
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
संभाल, भोपाल  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15-6-12

क्रमांक एक 1-07/2012/बयालीस(1) विभागीय आदेश क्रमांक एक 1-35/99/42-1 दिनांक 04/05/2001 द्वारा ग्रंथपाल/पीटीआई को एआईसीटीई वेतनमान स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें उक्त वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु वर्ष 1980 के पश्चात् नियुक्त ग्रंथपालों को एआईसीटीई त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार शैक्षणिक अर्हता दर्शाई गई है -

एमलिव साइंस 55 प्रतिशत बोलिव साइंस 60 प्रतिशत या एमए/एमकान /एमएससी 65 प्रतिशत अंकों के साथ बोलिव साइंस 50 प्रतिशत निर्धारित है। ग्रंथपाल/पीटीआई को त्रिस्तरीय वेतनमान स्वीकृत किये जाने के निर्देश प्रभावशील है। उपरोक्त प्राधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम-2004 के अनुरार प्रवर श्रेणी वेतनमान हेतु पीएचडी की शैक्षणिक अर्हता आवश्यक नहीं है। किन्तु वर्तमान में उपरोक्त सेवा भरती नियम 2004 प्रभावशील होने के कारण ग्रंथपाल/पीटीआई को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित अर्हता में छूट दी जाना प्रासंगिक हो गया है।

अतः राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम-2004 की अनुसूची- 3 के अनुक्रमांक-8 के पश्चात् टिप्पण क्रमांक-5 एवं 7 में ग्रंथपाल/पीटीआई को प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किये जाने हेतु निर्धारित अर्हता पीएचडी की उपाधि प्राप्त की गई हो या उसके समतुल्य शोध कार्य प्रकाशित कराया गया हो में छूट प्रदान की जाती है शेष अर्हता यथावत आवश्यक होगी यह छूट वर्तमान में कार्यरत ग्रंथपाल/पीटीआई को प्राप्त होगी नवीन नियुक्तियों पर यह आदेश प्रभावशील नहीं माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ०) प्राशि कर्णावत

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पू० क्रमांक एक 1-07/2012/बयालीस(1)  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 15-6-12

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
2. महासंचालक, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, संभाल, भोपाल।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।